



Essay on GST

1. Introduction

- 1) GST was implemented on **1st July 2017** as 101st Constitutional Amendment Bill.
- 2) Goods and Services Tax (GST) is a reformatory legislation which is a single tax on the supply of goods and services, right from the manufacturer to the consumer. It is the biggest tax reform in **Indirect tax** structure.
- 3) A viable tax regime which is vital for the sustainable economic growth and fiscal consolidation of Indian economy.
- 4) GST assumes a greater importance in a developing economy like India.
- 5) GST will remove the **cascading effect** of various Indirect taxes.
- 6) We need a transparent, just, equitable and fair taxation system that is easy to administer.

2. Body

- 1) More than **150** countries have successfully implemented GST.
- 2) In India, more than **60%** of the total tax collected is accounted for indirect taxes hence, this reform is very important.
- 3) Divided into three parts **Central GST, State GST and Integrated GST** . GST Council to decide various aspects and tax rates. **GST Network** for IT infrastructure.
- 4) GST is a progressive tax i.e. it has different tax rate for different commodities.
- 5) GST will reduce the possibility of tax manipulation, make more transparent system and benefit the consumers. It will promote **easy of doing business**.
- 6) GST will surely increase the number of taxpayers, hence more revenue generation.

- 7) Some states are concerned about its effect on their revenue collection. Various business groups and trade unions are not satisfied with the GST rates.
- 8) The lengthy and cumbersome procedure has caused **delay in tax collection**.
- 9) Government is working with all the stakeholders for a smooth operation of GST system. GST rates have been revised for the betterment of people and businessmen.

3. Conclusion

- 1) Government should work effectively to ease the complexity of the present system.
- 2) Tax rates for essential goods should be monitored regularly. Proper mechanism for tax sharing between states.
- 3) Just on the basis of some negative aspects, we should not demean a system which has many long term advantages.
- 4) GST would give a strong signal to the foreign investors about India's increased creditworthiness, lesser compliance and procedural costs in the taxation sphere.
- 5) This tax reform will surely help the Indian economy and boost GDP.

वस्तु एवं सेवा कर पर निबंध

1. Introduction

- 1) जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को 101 संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में लागू किया गया था।
- 2) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) एक सुधारकारी कानून है जो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर एकमात्र कर है, जो निर्माता से उपभोक्ता तक है।
- 3) अप्रत्यक्ष कर ढांचे में यह सबसे बड़ा कर सुधार है।

- 4) एक कर व्यवस्था जो सतत आर्थिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के राजकोषीय समेकन के लिए महत्वपूर्ण है।
- 5) जीएसटी भारत की तरह एक विकासशील अर्थव्यवस्था में अधिक महत्व रखती है।
- 6) हमें एक पारदर्शी, उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष कराधान प्रणाली की आवश्यकता है जो कि प्रशासन के लिए आसान हो।

2. Body

- 1) 150 से अधिक देशों ने सफलतापूर्वक जीएसटी लागू किया है।
- 2) भारत में कुल एकत्रित कर का 60% से अधिक अप्रत्यक्ष करों के हिसाब से होता है, इसलिए यह सुधार बहुत महत्वपूर्ण है।
- 3) सेंट्रल जीएसटी, राज्य जीएसटी और एकीकृत जीएसटी के तीन भागों में विभाजित। जीएसटी काउंसिल ने विभिन्न पहलुओं और टैक्स दर तय करने का फैसला करता है। आईटी बुनियादी ढांचे के लिए जीएसटी नेटवर्क।
- 4) जीएसटी एक प्रगतिशील कर है, इसलिए इसमें विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग-अलग टैक्स दर है।
- 5) जीएसटी कर हेरफेर की संभावना को कम करेगा, अधिक पारदर्शी व्यवस्था करेगी और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगी। यह व्यापार करने में आसान काम करेगा
- 6) जीएसटी निश्चित रूप से करदाताओं की संख्या में वृद्धि करेगा, इसलिए अधिक राजस्व मिलेगा
- 7) कुछ राज्य अपने राजस्व संग्रह पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। विभिन्न व्यावसायिक समूहों और ट्रेड यूनियन जीएसटी दरों से संतुष्ट नहीं हैं। लंबी और बोझिल प्रक्रिया से कर संग्रह में देरी हुई है।
- 8) सरकार जीएसटी सिस्टम के सुचारु संचालन के लिए सभी हितधारकों के साथ काम कर रही है। लोगों और व्यवसायियों की भलाई के लिए जीएसटी दरों में संशोधन किया गया है।

3. Conclusion

- 1) वर्तमान प्रणाली की जटिलता को कम करने के लिए सरकार को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए।
- 2) आवश्यक वस्तुओं की कर दर नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए राज्यों के बीच कर साझाकरण के लिए उचित तंत्र होना चाहिए।
- 3) कुछ नकारात्मक पहलुओं के आधार पर हमें एक ऐसी प्रणाली को अवमानना नहीं देना चाहिए, जिसमें कई दीर्घकालिक फायदे हैं।
- 4) जीएसटी विदेशी निवेशकों को भारत की बढ़ती पतदारी, कम अनुपालन और कराधान क्षेत्र में प्रक्रियात्मक लागत के बारे में एक मजबूत संकेत देगा।
- 5) यह कर सुधार निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मदद करेगा और जीडीपी को बढ़ावा देगा।